



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“आपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 23 हजार रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 03.09.2018 को अभियुक्त द्वारा वादी की बेटी को बहला फुसला कर ले जाना एवं बेटी द्वारा घर से जरूरी कागजात व 2500 रू0 नकद साथ ले जाने के सम्बन्ध में थाना शाहबाद पर मु0अ0सं0- 623/18 धारा- 363, 366, 376 भादवि, 3(2)5 Sc/St Act, ¼ Pocso Act बनाम कमलवीर पुत्र भूकनलाल नि0 मंगोली थाना शाहबाद जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक-29.03.2024 को मा0 न्यायालय ADJ-06 रामपुर द्वारा अभियुक्त कमलवीर पुत्र भूकनलाल उपरोक्त को आजीवन कारावास व 23 हजार रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त कमलवीर पुत्र भूकनलाल उपरोक्त को आजीवन कारावास व 23 हजार रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अभि0 कमलवीर पुत्र भूकनलाल नि0 मंगोली थाना शाहबाद जनपद रामपुर।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@रामपुरपुलिस

7839859826



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“आपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा प्रत्येक अभियुक्तगणों को 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 03.02.2014 को अभियुक्तगणों द्वारा वादी के भाई के राजू व विजेन्द्र को जान से मारने की नियत से चोट पहुँचाना जिससे वादी के भाई राजू की मृत्यु के होने के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0- 42/14 धारा- 302,307 भादवि बनाम प्रेमपाल, विरेन्द्र , तालेवर पुत्रगण डेग सिंह , शिशुपाल उर्फ शीशपाल पुत्र रामकुवंर समस्त निवासीगण ग्राम ठाकुरद्वारा थाना पटवाई जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक-29.03.2024 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,रामपुर द्वारा अभियुक्तगण प्रेमपाल, विरेन्द्र , तालेवर, शिशुपाल उर्फ शीशपाल उपरोक्त **प्रत्येक को 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रू0 अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

अभियुक्तगण प्रेमपाल, विरेन्द्र , तालेवर, शिशुपाल उर्फ शीशपाल समस्त उपरोक्त **प्रत्येक को 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रू0 अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अभि0 प्रेमपाल, विरेन्द्र , तालेवर पुत्रगण डेग सिंह , शिशुपाल उर्फ शीशपाल पुत्र रामकुवंर समस्त निवासीगण ग्राम ठाकुरद्वारा थाना पटवाई जनपद रामपुर।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@रामपुरपुलिस

7839859826



रामपुर पुलिस




गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित-


अवगत कराना है कि दिनांक 31.03.2003 को अभियुक्त द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने के सम्बन्ध में थाना शाहबाद पर मु0अ0सं0 172/2003 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट बनाम बबलू उर्फ शहजाद पुत्र भूरा सेमद निवासी सैफनी थाना शाहबाद जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया।

पुलिस एवं अभियोजन के सतत प्रयास के परिणाम स्वरूप दिनांक 29.03.2024 को मा0न्या0 ADJ-03, रामपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुए 03 वर्ष कठोर कारावास व 5000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 @rampurpolice

 रामपुरपुलिस

 @rampurpolice

 @रामपुरपुलिस